IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम

नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016

संरक्षित प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं0- 900 /नि0प्रा0-130/2015-16/वाoनि0-5/ दिनांक- 06/04/2016

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत

स्वीकृति-पत्र (प्रथम चरण)

सेवा में,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर
आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन प्रा0लि0,
छप्पन चौराहा , लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,
लखनऊ कैन्ट, लखनऊ

विषयः ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-6ए/जी0एच0-02 व 03 वृन्दावन योजना, लखनऊ में आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित मानचित्र निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-6ए/जी0एच0-02 व 03 के मानचित्र स्वीकृति सम्बंधी आपके आवेदन के कम में प्रकरण को परीक्षणोपरान्त आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक 5-2-2016 को प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कतिपय शर्तो सहित अनुमोदित किया गया है।

समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुकम में वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कराने हेतु मांग पत्र 693/ वा0नि0-5 दिनांक 11-3-2016 को जारी किया गया जिसके अनुपालन में देय शुल्क सहित अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए स्वीकृत मानचित्र निर्गत करने हेतु आवेदन किया गया है। जिसके कम में एतदद्वारा अनुमोदित मानचित्र निम्न शर्तो सहित निर्गत किये जाते हैं :-

क- प्रथम चरण के मानचित्र स्वीकृति के अनुसार स्थल पर निर्माण सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही स्थल पर अनुवर्ती तलों पर निर्माण अनुमन्य किया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित शर्तो सहित मानचित्र निर्गत किया जा रहा है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा। वर्तमान में स्थल पर कियान्वयन तकनीकी समिति की बैठक दिनांक-15-2-2016 के अनुमोदन के कम में स्थल पर निर्माण किया जाएगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। (दिनांक 6.4.2016 से 5.4.2021 तक)।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 62625.60 वर्गमी0 (बेसमेन्ट+भूतल+स्टिल्ट+11 तल) में से वर्तमान में 13090.58 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल (बेसमेंन्ट+ग्राउण्ड+स्टिल्ट फ्लोर) हेतु 14453.75 वर्ग0मी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंन्ट एवं स्टिल्ट फ्लार में पार्किग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नही किया गया है। अतः पार्किग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंन्ट एवं उसके ऊपर ग्राउण्ड व स्टिल्ट फ्लोर के निर्माण की अनुमति प्रथम चरण में प्रदान की जा रही है। (स्वीकृत मानचित्र सलंग्न है।)
5. प्रथम चरण में स्थल पर बेसमेंन्ट एवं उसके ऊपर ग्राउण्ड व स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण, स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) ही शेष अनुवर्ती तलों पर निर्माण 49535.02 वर्गमी0 हेतु निर्माण की स्वीकृति कालन्तर में सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त प्रदान की जा सकेगी।
6. वर्तमान में भूखण्ड पर कुल 220 इकाईयॉ निर्मित किये जाने हेतु प्रस्ताव 2.425 एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड-12,उ0प्र0 आवास एव विकास परिषद,वृन्दावन योजना लखनऊ को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-12 व उप आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना द्वारा स्थल पर निर्माण उसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा जबकि सम्बंधित द्वारा प्रश्नगत भूमि के सापेक्ष परिषद को देय भुगतान का समयानुसार अद्यतन किया जा रहा हो। यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
8. सयुक्त निदेशक,उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक संख्या 2083/एफ0एस0-2015 दिनांक 03-10-2015 द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय उपनिदेशक उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ/मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।